

फर्द अहकाम

रिडीगा

बनाम

राजेन्द्र

गायालय

ख्या 362/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/11/22	<p>दावा वकील वादी ने पेश किया। रिपोर्ट सरिल्ला दोकर पेश हुई। पुकरण पत्र शजिस्टर किया जाये। वकील वादी उप. हो प्रतिवादीगण की तलवी जारी दोकर पत्रावली दिनांक 10/11/23 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">हस्ता उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चकसू (जयपुर)</p>	
10/1/23	<p>पत्रावली पेश हुयी 28 साहब/कार्य फन्देसेर अन्य भाग में प्राप्त जनरल दिनांक की 15/3/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">हस्ता</p>	
3/3/23	<p>पत्रावली आज 3 दिनों प्र. पत्र पर तलब की गई। प्रार्थिया स्वयं उप. हैं। प्रार्थिया ने प्र. पत्र पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 की कृत्य हो चुकी हैं। जिले वारिस वादीगण एवं वादीगण की मौ. हैं। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं हैं। वाद में प्रतिवादी सं. 1 से ही रिमिफ चाही गई थी। जिले कारण प्रार्थिया अब वाद को अग्रे नहीं चलना चाहती हैं तथा लोक अदालत की भावना से दावा विज्ञो करना चाहती हैं। अतः प्रार्थिया का रि. प्र. पत्र स्वीकार कर दावा विज्ञो (स्मिज) किया जाता है। पत्रावली वाद तहमील शामिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">हस्ता उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चकसू (जयपुर)</p>	<p style="text-align: right;">मंजूरता कृता निश्चि</p>